भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 62

18.07.2022 को उत्तर के लिए

प्रदूषण के कारण मौतें

62. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रदूषण के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और प्रदूषण स्तर को कम करके स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे मृत्यु/बीमारी का विशिष्टत: वायु प्रदूषण से प्रत्यक्ष सह-संबंध स्थापित होता हो। वायु प्रदूषण, श्वसन संबंधी रोगों और संबद्ध बीमारियों को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में से एक है। स्वास्थ्य, अनेक कारकों से प्रभावित होता है जिनमें पर्यावरण के अलावा व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा इतिहास, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे के संबंध में सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण से संबंधित सूचना उपलबध नहीं है। तथापि, सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तरों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के तहत वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं तथा इन्हें मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 132 शहरों में कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है। इन 132 शहरों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। एनसीएपी की कागज रहित निगरानी करने और जनता तक इस कार्यक्रम के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ''मानकों को पूरा न करने वाले शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल'' या ''पीआरएएनए (प्राण)'' नामक एक पोर्टल शुरू किया गया है।

सरकार ने वायु प्रदूषण का उपशमन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-VI मानदंडों को लागू करने की शुरूआत करना, इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क का विस्तार करना, पीएनजी जैसे स्वच्छतर ईंधन को बढ़ावा देना, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) सहित उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड लागू करना, ईंट भट्ठों के लिए मिश्रित (जिग-जैग) प्रौद्योगिकी आरंभ करना, प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) निर्धारित करना, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की वास्तविक समय पर निगरानी आदि शामिल हैं। इन उपायों का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी और श्री अशोक कुमार रावत द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 132 शहरों की सूची

राज्य	क्र.सं.	शहर
आंध्र प्रदेश (13)	1.	गुंटूर
	2.	कुरनूल
	3.	नेल्लोर
	4.	विजयवाड़ा
	5.	विशाखापत्तनम
	6.	अनंतपुर
	7.	चित्तूर
	8.	एलुरु
	9.	कडपा
	10.	ओंगोल
	11.	राजमुंदरी
	12.	श्रीकाकुलम
	13.	विजयनगरम
असम (05)	14.	गुवाहाटी
	15.	नागांव
	16.	नलबाड़ी
	17.	शिवसागर
	18.	सिलचर
बिहार (03)	19.	पटना
	20.	गया
	21.	मुजफ्फरपुर
चंडीगढ़ (01)	22.	चंडीगढ़
छत्तीसगढ़ (03)	23.	भिलाई
	24.	कोरबा
	25.	रायपुर
दिल्ली (01)	26.	दिल्ली
गुजरात (03)	27.	सूरत
	28.	अहमदाबाद
	29.	वडोदरा
हिमाचल प्रदेश (7)	30.	बद्दी
	31.	दमताल

राज्य	क्र.सं.	शहर
	32.	कालाअंब
	33.	नालागढ़
	34.	पोंटा साहिब
	35.	परवाणू
	36.	सुंदर नगर
जम्मू और कश्मीर (2)	37.	जम्मू
	38.	श्रीनगर
झारखंड (01)	39.	धनबाद
कर्नाटक (04)	40.	बैंगलोर
	41.	दावनगेरे
	42.	गुलबर्ग
	43.	हुबली-धारवाड़
मध्य प्रदेश (06)	44.	भोपाल
	45.	देवास
	46.	इंदौर
	47.	सागर
	48.	उज्जैन
	49.	ग्वालियर
महाराष्ट्र (18)	50.	अकोला
	51.	अमरावती
	52.	औरंगाबाद
	53.	बदलापुर
	54.	चंद्रपुर
	55.	जलगांव
	56.	जालना
	57.	कोल्हापुर
	58.	लातूर
	59.	मुंबई
	60.	नागपुर
	61.	नासिक
	62.	नवी मुंबई
	63.	पुणे
	64.	सांगली
	65.	सोलापुर
	66.	उल्हासनगर
	67.	ठाणे
मेघालय (01)	68.	बर्नीहाट

राज्य	क्र.सं.	शहर
नगालैंड (02)	69.	दीमापुर
	70.	कोहिमा
ओडिशा (07)	71.	अंगुल
	72.	बालासोर
	73.	भुवनेश्वर
	74.	कटक
	75.	राउरकेला
	76.	तालचेर
	77.	कलिंग नगर
पंजाब (09)	78.	डेराबस्सी
	79.	गोबिंदगढ़
	80.	जलंधर
	81.	खन्ना
	82.	लुधियाना
	83.	नया नंगल
	84.	पठानकोट/डेरा बाबा
	85.	पटियाला
	86.	अमृतसर
राजस्थान (05)	87.	अलवर
	88.	जयपुर
	89.	जोधपुर
	90.	कोटा
	91.	उदयपुर
तमिलनाडु (03)	92.	थूथुकुडी
	93.	त्रिची
	94.	मदुरै
तेलंगाना (04)	95.	हैदराबाद
	96.	नलगोंडा
	97.	पाटनचेरुवु
	98.	संगारेड्डी
उत्तर प्रदेश (16)	99.	आगरा
	100.	इलाहाबाद
	101.	अनपरा
	102.	बरेली
	103.	फिरोजाबाद
	104.	गजरौला
	105.	गाज़ियाबाद

राज्य	क्र.सं.	शहर
	106.	झांसी
	107.	कानपुर
	108.	खुर्जा
	109.	लखनऊ
	110.	मुरादाबाद
	111.	नोएडा
	112.	रायबरेली
	113.	वाराणसी
	114.	गोरखपुर
उत्तराखंड (03)	115.	काशीपुर
	116.	ऋषिकेश
	117.	देहरादून
पश्चिम बंगाल (07)	118.	कोलकाता
	119.	आसनसोल
	120.	बैरकपुर
	121.	दुर्गापुर
	122.	हल्दिया
	123.	हावड़ा
	124.	रानीगंज
दस लाख से अधिक आबादी वाले ऐसे शहर जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन XV-वित्तीय आयोग के तहत वित्त पोषित हैं		
गुजरात (1)	125.	राजकोट
हरियाणा (1)	126.	फरीदाबाद
झारखंड (2)	127.	जमशेदपुर
	128.	रांची
मध्य प्रदेश (1)	129.	जबलपुर
उत्तर प्रदेश (1)	130.	मेरठ
महाराष्ट्र (1)	131.	वसई-विरार
तमिलनाडु (1)	132.	चेन्नई

अनुबंध-।।

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी और श्री अशोक कुमार रावत द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

वाहनीय प्रदूषण नियंत्रण

- अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV के स्थान पर सीधे बीएस-VI मानदंड लागू करना।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क में वृद्धि की गई है और इसमें अधिक शहरों को शामिल किया गया है।
- एक्सप्रैस-वे और राजमार्गों के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी आ रही है।
- सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत करना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम)-2 स्कीम की शुरुआत की गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट आवश्यकता पर छूट दी गई है।
- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना तथा और अधिक पुलों का निर्माण करना।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित करना।
- दिल्ली और एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक तथा फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी अपनाना।
- अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत उत्सर्जन निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- प्रदूषण में कमी करने के लिए ईंट भट्टों द्वारा मिश्रित (जिग-ज़ैग) प्रौद्योगिकी को अपनाना।

अपशिष्ट प्रबंधन

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी करना।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी अवसंरचना की स्थापना करना।
- प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) निर्धारित करना।
- बायोमास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

फसल अवशिष्ट प्रबंधन

- 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने' से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत, प्रत्येक किसान को 50 प्रतिशत रियायत पर और कस्टम हाईरिंग सेंटरों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत रियायत के साथ स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा दिया जाता है।
- कंम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधनों में उपयोग हेतु सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए ''किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी)'' को एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के तहत हस्तचालित स्टेशनों के साथ-साथ सतत निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
- किफायती सेंसरों और उपग्रह आधारित निगरानी जैसी वैकल्पिक परिवेशी निगरानी प्रौद्योगिकियों का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत।
- दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन। यह प्रणाली समय पर कार्रवाई करने के लिए संदेश जारी करती है।

****